भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 622

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

खाद्य वितरण का आधुनिकीकरण

622. श्री अरुण नेहरू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करने और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खाद्य वितरण, भंडारण और संभारतंत्र अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु में अपव्यय कम करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने तमिलनाडु सहित देश में खाद्य वितरण, भंडारण और संभारतंत्र अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधार:-

पीडीएस सुधारों के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह (100%) डिजिटल कर दिया गया है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना को अपनाया है) में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

...2/-

इसके अलावा, यह विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट-पीडीएस) को लागू कर रहा है ताकि एनएफएसए और राज्य योजनाओं को शामिल करते हुए संपूर्ण पीडीएस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों और परिवर्तनकारी बदलावों को आगे बढ़ाया जा सके। इस योजना में चार मॉड्यूल नामतः (i) खाद्यान्न खरीद, (ii) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन/अनाज आबंटन, (iii) राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली और उचित दर दुकान प्रबंधन, और (iv) बायोमेट्रिक आधारित अनाज वितरण मॉड्यूल (ईकेवाईसी) शामिल है।

भंडारण संबंधी सुधार:-

(i) स्मार्ट वेयरहाउस परियोजना:-

विभाग भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के स्वामित्व वाले 150 डिपो को प्रायोगिक आधार पर स्मार्ट वेयरहाउस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के सभी खाद्यान्न डिपो भी स्मार्ट वेयरहाउस परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत, पारंपरिक डिपो को स्मार्ट वेयरहाउस में परिवर्तित किया जा रहा है, जो विभिन्न सेंसर जैसे स्मोक सेंसर, फायर सेंसर और गेट ओपनिंग सेंसर आदि से लैस हैं, जो वास्तविक समय के आधार पर CO2, फॉस्फीन के स्तर, आग के खतरों, आर्द्रता, अनाधिकृत प्रवेश और तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की निगरानी करते हैं।

इस पहल का उद्देश्य सभी डिपो में वास्तविक समय दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डाटा-आधारित निर्णय लेने और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है, जिससे सुरक्षित, संरक्षित और कुशल खाद्यान्न भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने में योगदान मिलता है।

(ii) अन्न दर्पण परियोजना:-

विभाग ने अगली पीढ़ी की सूक्ष्म-सेवाओं पर आधारित एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली "अन्न दर्पण" के विकास की पहल की है। यह प्रणाली मंडियों, मिलों, डिपो और सभी प्रशासनिक स्तरों पर परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अन्न दर्पण प्रायोगिक परियोजना का पायलट परियोजना दिनांक 18.11.2025 को 108 डिपो में शुरू की गई है।

(iii) एफसीआई का रूपांतरण:-

एफसीआई के स्वामित्व वाले गोदामों के उन्नयन के लिए, विभाग ने **'एफसीआई का रूपांतरण'** पहल के अंतर्गत पूंजीगत बजट आबंटित किया है, जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू किया गया था। इस पहल के अंतर्गत प्राप्त बजट का उपयोग मुख्य रूप से पुरानी क्षतिग्रस्त बिटुमिनस (बीटी) सड़कों को सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़कों से बदलने, पुरानी क्षतिग्रस्त एस्बेस्टस सीमेंट

...3/-

(एसी) शीट की छतों को पहले से-रंग लेपित गैल्वेनाइज्ड आयरन प्रोफाइल छत शीट से बदलने, प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन और खाद्य भंडारण गोदामों में बिजली बैकअप के रूप में डीजल जनरेटर सेट की स्थापना के लिए किया जाता है।

(iv) डिपो दर्पण पोर्टल

डिपो दर्पण पोर्टल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण डिपो की निगरानी, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए इस विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है।

यह पोर्टल एक समग्र अंकन प्रणाली का उपयोग करता है, जो दो व्यापक श्रेणियों: अवसंरचना और प्रचलनात्मक मापदंडों के आधार पर डिपो का मूल्यांकन करता है। अंकों के आधार पर, प्रत्येक डिपो को एक स्टार रेटिंग प्राप्त होती है, जिसका उद्देश्य डिपो के प्रदर्शन का त्वरित मूल्यांकन प्रदान करना है। विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए 100% पर्यवेक्षी अधिकारी सत्यापन और कुछ यादृच्छिक तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षा के माध्यम से डाटा का सत्यापन प्रक्रिया में शामिल है।

(v) "अन्न चक्र" पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण:

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए "अन्न चक्र" उपकरण लागू किया है। यह उपकरण पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, दक्षता में सुधार, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और 81 करोड़ वंचित नागरिकों की सहायता करते हुए समग्र लागत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शुरुआती परिणाम उत्साहजनक हैं, परिवहन लागत में सालाना लगभग 250 करोड़ रुपये की कमी आने का अनुमान है। राज्य-विशिष्ट एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, यह प्रणाली गोदामों के स्थान, भंडारण क्षमता और सड़क की दूरी के आधार पर आवागमन को अनुकूलित करती है, जिससे परिवहन दूरी में 15 से 50% की कमी आती है।

"अन्न चक्र" अंतर-राज्यीय मार्ग अनुकूलन उपकरण:

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा मुख्यतः रेल द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के अंतर-राज्यीय संचलन कार्यों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए अंतर-राज्यीय संचलन अनुकूलन किया गया है। इन संचलनों की योजना उपभोक्ता राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ खरीद या अधिशेष क्षेत्रों में भंडारण स्थान का प्रबंधन करने के लिए बनाई गई है। एफसीआई द्वारा इन कार्यों की दैनिक योजना और क्रियान्वयन इस उद्देश्य के लिए विकसित उपकरण का उपयोग करके किया जाता है।

...4/-

(ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक परियोजना- जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) लागू कर रही है जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है, भविष्य के जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जिला स्तर पर जोखिम और भेद्यता का आकलन करती है। परियोजना के तहत, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्य रूप से 651 कृषि जिलों के लिए जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जोखिम और भेद्यता का आकलन किया गया है। 310 जिलों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई, जिनमें से 109 जिलों को 'बहुत उच्च' और 201 जिलों को 'अत्यधिक' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए किसानों की लोच और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियां जैसे चावल गहनता प्रणाली, एरोबिक चावल, चावल की सीधी बुवाई, परियोजना के अंतर्गत 448 जलवायु अनुकूल गांवों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चावल के अवशेषों आदि का यथास्थान समावेशन प्रदर्शित किया गया है। एनआईसीआरए परियोजना के तहत ग्राम स्तर के बीज बैंकों और सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना के लिए क्षमता निर्माण किया जा रहा है जो गोद लिए गए गांवों में बीजों की उपलब्धता को सक्षम बनाता है। कई एनआईसीआरए गांवों में चावल, गेहूं, सोयाबीन, सरसों, चना, ज्वार, चना और फॉक्सटेल बाजरा की सूखी और बाढ़ सहिष्णु जलवायु-अनुकूल किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के तहत किसानों के बीच गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित कृषि पद्धतियों के विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पिछले दशक (2014-2024) में, आईसीएआर ने 2,900 फसल किस्में जारी कीं, जिनमें से 2,661 एक या अधिक जैविक या अजैविक तनावों के प्रति सहिष्णु हैं। जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 5.14 लाख किसानों को शामिल करते हुए 14,407 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है ताकि फसल-पश्चात अवसंरचना ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण किया जा सके और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें फसल-पश्चात नुकसान में कमी, मूल्य संवर्धन में वृद्धि आदि शामिल हैं। पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएं (i) मेगा फूड पार्क (घटक को केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है) (ii) एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (iii) कृषि-प्रसंस्करण

...5/-

क्लस्टरों के लिए अवसंरचना, (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (घटक को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया है) (v) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसल-उपरांत नुकसान को न्यूनतम करने के लिए शीत भंडारण भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, जिनका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसरों का सृजन, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना शामिल है।

इन योजनाओं के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना है, जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ाने, वर्ष भर विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे खाद्य कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

*****